



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 आषाढ़ 1946 (श10)

(सं0 पटना 545) पटना, मंगलवार, 25 जून 2024

सं० 3ए-2-वे०पु०-04/2024-6717/वि०
वित्त विभाग

संकल्प

24 जून 2024

विषय:—बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग के लिए वेतनसंरचना की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना सं०-1842, दिनांक-12/05/2021 द्वारा "बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग नियमावली, 2021" अधिसूचित है, जिसमें तीन-स्तरीय पदसोपान विहित है एवं मूलकोटीय पद पर नियुक्ति हेतु स्नातक योग्यता निर्धारित है तथा प्रथम प्रोन्नति स्तर एवं द्वितीय प्रोन्नति स्तर के पद राजपत्रित घोषित है।

2. बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग एक नया संवर्ग है, जिसके लिए पूर्व से वेतनसंरचना निर्धारित नहीं है। संदर्भित संवर्ग नियमावली द्वारा विहित नियुक्ति हेतु अपेक्षित योग्यता, चयन प्रक्रिया, कर्तव्य-दायित्व, पद-प्रास्थिति एवं वेतन निर्धारण के सामान्य सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संवर्ग के लिए वेतनसंरचना निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

3. **सम्यक् विचारोपरान्त** बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग के लिए निम्नवत् वेतनसंरचना निर्धारित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र.सं.	पदनाम	पदसोपान/ पद-प्रास्थिति	वेतनसंरचना
1	सहायक नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी	मूलकोटि (अराजपत्रित)	Level-6
2	उप नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी	प्रथम प्रोन्नति स्तर (राजपत्रित)	Level-7
3	नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी	द्वितीय प्रोन्नति स्तर (राजपत्रित)	Level-8

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 545-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>